न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/टीए /1575/2004/हनुमानगढ़

1– बनवारीलाल पुत्र सुरजाराम मृतक जरिये वारिसानः–
1/1– आत्माराम
1/2– मूलाराम | पुत्रगण बनवारीलाल
1/3– हंसराज
2– हनुमान
3– कृष्ण | पुत्रगण सुरजाराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4– श्रीमती गुड्डी पुत्री सुरजाराम पत्नि काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दानावाल तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5– श्रीमती गुलाबी पत्नि सुरजाराम पत्नि संतराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6– प्यारेलाल
7– सुशील | पुत्रगण सुल्तानराम जाति जाट निवासी चक 4, एस.टी.बी. ग्राम जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1– पोलाराम
2– मोहनाराम | पुत्रगण मानाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3– राजस्थान सरकार

–रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य
श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–
1. श्री एन. के. गोयल, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक– 7–2–2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 163/2003 में पारित निर्णय दिनांक 31–3–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट/वादी ने अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

पीलीबंगा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता एवं चाचा माना एवं सुरजाराम के नाम से चक 4, एस.टी.बी. के प0 नं0 87/364 के किला नंबर 1 ता 10 रकबा 9.16 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में पूर्व 55 के काश्तकार दर्ज है। सुरजाराम का देहांत दिनांक 7–3–1997 को हो गया था। मृतक सुरजाराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 4–7–1995 को एक वसीयत नोटेरी पब्लिक से तहरीर व तकमील करवाकर वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवा दी। वादीगण के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 4–7–1995 के अनुसार वादीगण कथित 9.16 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने वसीयत के आधार पर विवादित कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने तथा प्रतिवादीगण को भी खाता अलग करवाने और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादपत्र में अंकित तथ्य झूठें एवं मनगढंत है । सूरजाराम ने स्वयं की मृत्यु से पूर्व अपना कभी भी कोई इच्छापत्र वादी के पक्ष में नहीं लिखवाया एवं निष्पादन नहीं किया । दिवंगत सूरजाराम के जीवनकाल में उक्त विवादित 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्सा पर अकेले सूरजाराम का कब्जा नहीं था, वरन् दिवगंत सुरजाराम और उसके तीनों पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का भी कब्जा था। वसीयत कूटरचित एवं विधिविरूद्ध है। इसके आधार पर वादीगण राजस्व अभिलेख में भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं है । तहसीलदार, पीलीबंगा ने दिनांक 24–9–1996 द्वारा मानाराम के उत्तराधिकारियों को 47 बीघा के 1/2 भाग एवं सूरजाराम को 1/2 भाग के खातेदारी अधिकार प्रदान किए थे। इसलिए यह सम्पत्ति सूरजाराम की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं थी वरन पैतृक सम्पत्ति थी। जिसकी वसीयत करने का अधिकार सूरजाराम को नहीं था । वसीयत कूटरचित है । उन्होंने प्रतिदावा प्रस्तुत कर उक्त 47 बीघा भूमि के 1/2 भाग 23 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया । उक्त प्रतिदावे का जबाव प्रस्तुत कर अपीलण्ट द्वारा कथन किया कि प्रतिवादीगण को इस दावे में प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है एवं इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः काउन्टरक्लेम खारिज किया जावे ।

दावे एवं जवाबदावे एवं प्रतिदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27–12–2002 को निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1– आया वादीगण मुताबिक वासीयतनामा दिनांक 4–7–1995 चक 4 एस.टी.

बी. के पं0 नं0 87/364 किला नंबर 1 ता 10 कुल 9.16 बीघा भूमि में सुरजाराम के हिस्सा की भूमि के अधिकारी एवं खातेदार हैं।

—वादी

2— आया वादीगण खाता तकसीम करवाने के अधिकारी हैं।

— वादी

3— आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

—वादी

4— आया विवादित भूमि व अन्य भूमि जो काउन्टर क्लेम के पहरा 7 में दर्ज है, जद्दी जायदाद है।

—प्रतिवादी

5— आया प्रतिवादीगण कुल 47 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा के अधिकारी हैं।

—प्रतिवादी

6— आया प्रतिवादीगण अपने हिस्सा की भूमि का खाता तकसीम करवाने के अधिकारी हैं।

— प्रतिवादी

7— अनुतोष

दावे, जवाबदावे एवं तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3—11—2003 द्वारा वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा दोनों खारिज कर दिये। उक्त आदेश दिनांक 3—11—2003 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31—3—2004 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3—11—2003 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 31—3—2004 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4— अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि रेस्पोडेंट नंबर 1 व 2 वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया था, उसमें यह अनुतोष मांगा था कि वसीयत दिनांक

4–7–1995 के अनुसार रेस्पोडेंट नंबर 1 व 2 को चक 4 एस.टी.बी. के पत्थर नंबर 87/364 के किला नंबर 1 ता 10 कुल 9.16 बीघा कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित कर उनका खाता अलग किया जावे। वादीगण/रेस्पोडेंट का दावा घोषणा का है, जो वसीयत के आधार पर विचारण न्यायालय ने तनकी बनाई गई, उसे साबित करने का भार रेस्पोडेंट नंबर 1 व 2 वादीगण पर था। वाद को साबित करने के लिए वसीयत को साबित करना चाहिए था। मात्र वसीयत पेश कर देने से यह साबित होना नहीं माना जा सकता। रेस्पोडेंट नंबर 1 व 2 ने राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी का दिनांक 24–3–2004 को पेश किया था। जबकि बहस दिनांक 20–3–2004 को हो गई थी। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया है कि निष्पादित वसीयत दिनांक 4–7–1995 की सत्यता बाबत् जांच किये जाने हेतु तनकीवार निर्णय पारित करे और इस पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर विधिवत् रूप से प्रकरण का पुनः निस्तारण करें। जबकि विचारण न्यायालय ने वसीयत के आधार पर तनकी कायम करके विस्तृत जांच एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया था। अतः अपील स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–3–2004 निरस्त किया जावे।

5– रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्तागण ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने विवाद्यकों का निर्माण तो किया पर उन पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया , जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है तथा ऐसे आदेश व डिक्री न्याय की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं है । उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने वसीयत के दोनों गवाहान भागाराम व अमीचन्द को साक्ष्य वादी में प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति को गलत रूप से रेस्पोडेंट के विरूद्ध माना है, जबकि इस मामले में अपीलांट द्वारा अंगूठा निशानों को स्वीकार किया है। रेस्पोडेंट द्वारा धोखा से सुरजाराम के अंगूठा निशान वसीयत पर लगवाना व वसीयत में अंकित विषय–वस्तुओं को सुरजाराम के कथन को संगुप्त रखने के कथन किये हैं। वसीयत के खण्डन में अपीलांट द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वसीयत को रद्द करने का अधिकार विचारण न्यायालय को प्राप्त नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत् केवल अपील के अयोग्य मामलों में ही शपथ–पत्रों के माध्यम से साक्ष्य ली जा सकती है।

गवाह अमीचन्द व भागाराम की ओर से वसीयत के होने के कथन की जानकारी प्राप्त होने पर उनकी ओर से शपथ–पत्र प्राप्त किये गये, जो अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लेने के लिए आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 पेश की गई है। इनके शपथ–पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, जिनमें वसीयत कराने के कथन को अस्वीकार किया गया है। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा तनकीवार निर्णय किए जाने बाबत प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील खारित की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 88 के तहत प्रस्तुत कर कथन अपीलाण्ट के पिता सूरजाराम द्वारा रेस्पोडेण्ट पोलाराम व मोहनाराम के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 4–7–1995 के अनुसार चक 4 एस.टी.बी. के प0नं0 87/364 के किला नंबर 1 ता 10 कुल 9.16 बीघा कृषि भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित करने एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया । उक्त दावे का प्रतिदावा एवं जबावदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्य झूठें एवं मनगढंत हैं । सूरजाराम ने स्वयं की मृत्यु से पूर्व अपना कभी भी कोई इच्छापत्र वादी के पक्ष में नहीं लिखवाया एवं निष्पादन नहीं किया । दिवंगत सूरजाराम के जीवनकाल में उक्त विवादित 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्सा पर अकेले सूरजाराम का कब्जा नहीं था, वरन् दिवगंत सुरजाराम और उसके तीनों पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का भी कब्जा था। वसीयत कूटरचित एवं विधिविरूद्ध है। इसके आधार पर वादीगण राजस्व अभिलेख में भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं है । तहसीलदार, पीलीबंगा ने दिनांक 24–9–1996 द्वारा मानाराम के उत्तराधिकारियों को 47 बीघा के 1/2 भाग एवं सूरजाराम को 1/2 भाग के खातेदारी अधिकार प्रदान किए थे। इसलिए यह सम्पत्ति सूरजाराम की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं थी, वरन पैतृक सम्पत्ति थी। जिसकी वसीयत करने का अधिकार सूरजाराम को नहीं था । वसीयत कूटरचित है । उन्होंने प्रतिदावा प्रस्तुत कर उक्त 47 बीघा भूमि के 1/2 भाग 23 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया । उक्त प्रतिदावे का जबाव प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा कथन किया कि प्रतिवादीगण को इस दावे में प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है अतः काउन्टरक्लेम खारिज

किया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दावे व जबावदावे के आधार पर तनकियात कायम की गई लेकिन तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया केवल मात्र इस आधार पर वसीयत को प्रमाणित करने हेतु दो साक्ष्य आवश्यक है एवं वसीयत में जिन दो गवाह के हस्ताक्षर हैं उनके द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर वसीयत से इंकार किया है एवं एफआईआर के संबंध में कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है एवं वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के अधिकारी नहीं है और वाद व प्रतिदावा दोनों सिद्ध नहीं होने से खारिज कर दिए । उक्त निर्णय के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि यह निर्णय तनकीवार नहीं होकर सरसरी तौर पर पारित किया है जबकि रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद घोषणा व विभाजन का था जो साक्ष्य सबूतों व तनकियात के आधार पर तय किया जाना होता है । किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वाद में सात तनकियात कायम करने के उपरान्त उक्त तनकीयात पर न तो उभय पक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की न ही तनकीवार विश्लेषण ही किया । इस सम्बन्ध में हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 तथा आदेश 41 नियम 31 का उल्लेख करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार है –

"Order 20 Rule 5 - Court to state its decision on each issue.- In suits in which issues have been framed, the Court shall state its finding or decision, with the reasons therefore, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issues is sufficient for the decision of the suit."

"Order 41 Rule 31- Contents, date and signature of judgment - The judgment of the Appellate Court shall be in writing and shall state -

(a) the points for determination;
(b) the decision thereon;
(c) the reasons for the decision; and
(d) where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled;

and shall at the time it is pronounced be signed and dated by the Judge or by the Judges concurring therein."

8. उक्त प्रावधानानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का यह दायित्व है कि वे निर्णय पारित करते समय विवाद बिन्दूओं का निर्धारण करने के उपरान्त निर्णय में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करें। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी विरचित करने के बाद उन पर विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया । इस कारण विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 3–11–2003 के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा

प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील किए जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपील स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 31–3–2004 से प्रकरण को तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु एवं उभय पक्षों की साक्ष्य लेकर विधिवत रूप से प्रकरण का पुनः निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है । हमारी सुविचारित राय में उक्त आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा अपील खारिज योग्य है। जैसा के डी.एन.जे.(राजस्व) 2022(1) पृष्ठ 460 पर अभिनिर्धारित किया गया है कि –

" O 20 R. 5 and O.20 R. 19(2) –Declaration and partion-Appellant/defendant filed written statement alongwith counter claim-Counter claim decreed and eviction of plaintiffs ordered- Revenue Appellate Authority set aside the judgment and remanded the case- One appeal was not maintainable is not acceptable-When the trial Court passed one judgment and decree, two appeals were not necessary- Suit not decided issue wise-Plaintiff was not given opportunity to file reply to the counter claim -Held, No illegality in the judgment passed by the Revenue Appellate Authority."

इसी प्रकार आर.बी.जे. 2000 पृष्ठ 116 पर भी अभिनिर्धारित किया गया है कि –

"**Order 20 Rule 5 and Order 41 Rule 31** Trial Court must pass judgment on each issue after discussing the evidence on record."

9. उक्त विवेचन, विधिक प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णयों के आलोक में यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 31–3–2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य